

जमि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

स्रोत: हट्टिस्तान टाइम्स

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने उत्तराखण्ड के जमि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के कोर और बफर ज़ोन से होकर नज्जी बसों के संचालन के मुद्दे पर विचार करते हुए वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर ज़ोर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय जमि कॉर्बेट नेशनल पार्क के वर्ष 2020 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुख्य क्षेत्र के भीतर नज्जी बसों को अनुमति दी गई थी, जिस पर वर्ष 2021 से रोक लगी हुई थी।
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38(o) में कहा गया है कि बाघ अभयारण्यों को पारस्थितिकी रूप से असंवहनीय उपयोगों के लिये नहीं बदला जा सकता।
 - यदि ऐसा परिवर्तन आवश्यक हो तो उत्तराखण्ड राज्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - संरक्षित क्षेत्रों के परिवर्तन में पारस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिये सख्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिये।
- उत्तराखण्ड के नैनीताल ज़िले में स्थित जमि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट टाइगर रज़िर्व का हिस्सा है।
 - इसकी स्थापना वर्ष 1936 में बंगाल बाघ के संरक्षण के लिये हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी, यह भारत का सबसे तथा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल पहला राष्ट्रीय उद्यान है।
- कोर ज़ोन प्राकृतिक संसाधनों के लिये कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है, जबकि इसके चारों ओर का क्षेत्र बफर ज़ोन कहलाता है, जिसमें सुसंगत मानवीय गतिविधियों के साथ-साथ स्थायी प्रकृतिक संरक्षण की भी अनुमति प्राप्त होती है।

और पढ़ें: कॉर्बेट टाइगर रज़िर्व: उत्तराखण्ड